प्रेस प्रकाशनी

जनवरी 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाज़ार पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) का पुनर्गठन किया

19 जनवरी 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित तकनीकी परामर्शदात्री समिति की संरचना निम्नानुसार है:

अध्यक्ष

1. डॉ. राकेश मोहन
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

2. डॉ. अरविन्द विरमानी
मुख्य आर्थिक परामर्शदाता
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त और कंपनी मामले मंत्रालय
भारत सरकार

3. श्री. एम.एस. साहू
पूर्णकालिक सदस्य
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

4. डॉ. आर. कन्नन
सदस्य (बीमांकिक)
बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए)

5. डॉ. आर.एच. पाटिल
अध्यक्ष
भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल)

6. श्री गगन राय
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल)

7. श्री रवि नारायण
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लिमि. (एनएसई)

8. श्री सी. नरसिम्हन
उप प्रबंध निदेशक
और समूह कार्यपालक (वैश्विक बाज़ार)
भारतीय स्टेट बैंक

9. श्री एन. मोहन राज
कार्यपालक निदेशक (निवेश-परिचालन)
भारतीय जीवन बीमा निगम

10. श्री उदय कोटक
उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
कोटक महिंद्रा बैंक लि.

11. श्री एम. नरेन्द्र
कार्यपालक निदेशक
बैंक ऑफ इण्डिया

12. श्रीमती मीरा सान्याल
कार्यकारी उपाध्यक्ष और देश कार्यपालक
एबीएन-एम्रो बैंक

13. श्री वी श्रीकण्ठ
अध्यक्ष
भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिम्डा)

14. श्री आर.एन. वादिवेलु,
मुख्य कार्यपालक
भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआइ)

15. श्री ए.पी.कुरियन
अध्यक्ष
भारतीय पारस्परिक निधि संघ (एएमएफआइ)

16. श्री जयेश मेहता
अध्यक्ष
भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआइ)

17. प्रो. सूसन थॉमस
इंदिरा गाँधी विकास अनुसंधान संस्थान

18. डॉ. टी.टी. राममोहन
प्रोफेसर
वित्त और लेखांकन क्षेत्र, भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम), अहमदाबाद

19. डॉ. एरोल डिसूजा
प्रोफेसर, आर्थिक क्षेत्र
भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम), अहमदाबाद

20. श्री दीपक एम. सातवलेकर
पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस

21. श्री अमित टण्डन
प्रबंध निदेशक
फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सभी उप गवर्नर; वित्तीय बाज़ार विभाग (एफएमडी), आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी), बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआइओ) तथा मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) के प्रभारी कार्यपालक निदेशक तथा वित्तीय बाज़ार विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, बाह्य निवेश परिचालन विभाग, मौद्रिक नीति विभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी), विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) के विभागाध्यक्ष और भारतीय रिज़र्व बैंक, महाराष्ट्र और

गोवा के क्षेत्रीय निदेशक स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इस समिति के विचारणीय विषय हैं :-

i. सहभागियों, उत्पादों, संस्थागत और मूलभूत सुविधा व्यवस्था आदि से संबंधित बाज़ारों सहित मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों को और गहन तथा व्यापक बनाने के लिए उपायों की समीक्षा और उनकी अनुशंसा करना;

ii. बाज़ार के विकास तथा मुद्रा बाज़ार लिखतों, विदेशी मुद्रा बाज़ार और सरकारी प्रतिभूतियों में चलनिधि के प्रोत्साहन हेतु उपाय सुझाना;

iii. मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति तथा पूँजी बाज़ारों के बीच विकसित और वांछनीय सहबध्दता की जाँच करना और परामर्श देना;

iv. मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में कारोबार, अंतरण और निपटान के लिए कानूनी और संस्थागत व्यवस्था की मूलभूत सुविधा संरचना की समीक्षा करना;

v. उत्पाद/बाज़ार विकास से संबंधित विषयों पर पेपर तैयार करना और उस पर विचार करना तथा इसके लिए नीति और व्यवहारों पर परामर्श देना;

vi. मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों में जोखिम प्रबंध, लेखांकन, प्रकटन, निपटान, कानूनी ढाँचा आदि के गुणात्मक और परिमाणात्मक पहलुओं की समीक्षा करना और परामर्श देना; तथा

vii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे भेजे गए इन बाज़ारों पर लागू होने योग्य अन्य संगत मामलों की जाँच करना।

यह समिति, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट मामलों के अध्ययन और उन पर अनुशंसा करने के लिए अपने सदस्यों और/अथवा बाहरी विशेषज्ञों वाले तकनीकी समूहों की नियुक्ति कर सकती है। अक्सर अपेक्षित होने पर समिति की बैठक होगी लेकिन यह तिमाही में कम-से-कम एक बार होगी और अपनी पहली बैठक की तारीख से दो वर्षों तक कार्य करगी।

यह स्मरण होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने (आरबीआइ) 12 जुलाई 1999 को पहली बार दो वर्षों की कार्यावधि के लिए मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति का गठन किया था। अब तक इस समिति का तीन बार अर्थात, सितंबर 2001, फरवरी 2004 और जून 2006 में पुनर्गठन किया गया है। मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में अंतः-सहबद्धता तथा मौद्रिक नीति परिचालन के प्रभाव की दृष्टि से विदेशी मुद्रा बाज़ारों को शामिल करने के लिए फरवरी 2004 में इसके पुनर्गठन के समय तकनीकी परामर्शदात्री समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। तकनीकी परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन अब इस प्रकार किया गया है कि रिज़र्व बैंक बैंकिंग, अकादमी, सरकार, शेयर बाज़ारों, ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों और बाज़ार प्रतिनिधियों जैसे क्षेत्रों से वित्तीय बाज़ार विशेषज्ञों के विचार प्राप्त करने का लाभ उठाता रहे। विचारों के सम्मिलन तथा इस व्यापक प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त सलाह से रिज़र्व बैंक को उत्पादों, व्यवहारों, संस्थागत व्यवस्थाओं सहित वित्तीय बाज़ारों में और सुधार करने तथा इनके विनियमन में सहायता मिली है।